Municipal Corporation Bhilai (Chhattisgarh)

GE Road, Supela Bhilai No. 0788-2220125
Webiste : www.bhilainagarnigam.com
Email. Nigam_bhilai@yahoo.co.in

No. 3055......./DC/Bhilai/2023

Bhilai , Dated : 03/04/23

NOTICE ENVITING TENDER (2nd Call)

Bhilai Municipal Corporation Invites Online Tender Mentioned Below :-

Name of work :- Providing Computer Operator (Highly Skilled in placement for Municipal Corporation Bhilai. (2nd Call)

System Tender No.	Probable Amount (Lacs)	Earnest money (FDR)	Last of Bid Submission :-	Last Date of Physical Submission (EMD&Affidavit)
129673	Rs.96.59	Rs. 72,500.00	Date – 18/04/2023 5:30 PM	Date – 20/04/2023 5:30 PM

For the further details log on to https://eproc.cgstate.gov.in any corrigendum/addendum will be posted on the above website only. All eligible/interested Firms/Agency/Bidder are mandated to get enrolled on e-procurement portal.

Executive Engineer
Municipal Corporation
Bhilai

कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई जिला–दुर्ग (छ.ग.)

निविदा क्र. 129673 NIT No.5381/E /DC/Bhilai/2023 Date 03/04/2023 (द्वितीय कॉल)

कार्य का नाम :– कम्प्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध कराने का कार्य। (वर्ष 2023–2024)

नियम शर्तें :–

1. नगर पालिक निगम भिलाई के लिए दक्ष एवं अनुभवी उच्च कुशल कम्प्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध कराने का कार्य, जो कार्य निगम के जोन कार्यालयों एवं मुख्य कार्यालय में संचालित कार्य जैसे– लेटर टायपिंग, डाटा एन्ट्री, शासकीय सॉफ्टवेयर (ऑनलाईन/ऑफलाईन) एवं अन्य कार्य कम्प्यूटर ऑपरेटर के द्वारा कराया जाना है। अतः इस प्रकार के कार्य का कम्प्यूटर ऑपरेटर को कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।

2. कम्प्यूटर ऑपरेटर को एम.एस. ऑफिस (Word, Excel, Power Point) Google Sheet, Email, Internet Browsing, सॉफ्टवेयर डाटा एन्ट्री कार्य, कम्प्यूटर, स्कैनर एवं प्रिंटर की अच्छा जानकारी होनी चाहिए।

3. एजेंसी को अपने फर्म/कंपनी का पंजीयन दस्तावेज की छायाप्रति जमा करना होगा। एजेंसी को कोई भी छ.ग. शासकीय कार्यालय केन्द्र के शासकीय कार्यालय एवं अन्य पी.एस.यू. कार्यालय से काली सूची (ब्लेक लिस्ट) नहीं होना चाहिए। अनुबंध की अवधि (12 माह) की होगी। नगर पालिक निगम के कार्य की आवश्यकता अनुसार अनुबंधित अवधि एवं कर्मचारी संख्या 25 प्रतिशत तक कमी या वृद्धि की जा सकती है। इसके लिए एजेंसी बाध्य होगी।

4. कम्प्यूटर ऑपरेटरों द्वारा आकस्मिकता की स्थिति में उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य भी कराए जा सकते हैं। ऑपरेटरों का सामान्य पाली के अतिरिक्त अन्य पालियों में भी कार्य पर लगाये जा सकते हैं। इसके लिए पृथक से कोई भुगतान देय नहीं होगा।

5. निविदा स्वीकृत होने पर कार्यादेश जारी होने के 3 दिवस के भीतर बताए गए कार्यक्षेत्र पर कम्प्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

6. विभाग के अधिकारियों की दृष्टि में अनुबंधित एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराया गया कोई कम्प्यूटर ऑपरेटर का कार्य सही नहीं पाया जाता है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्देशित किए जाने के उपरांत 24 घंटे के अंदर उक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर को कार्य से पृथक कर अन्य कम्प्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध कराए जाने हेतु अनुबंधित एजेंसी बाध्य होगी।

7. कम्प्यूटर ऑपरेटर की अनुपस्थिति की स्थिति में आवश्यकता होने पर एजेंसी द्वारा अन्य कम्प्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था करनी होगी।

8. अनुबंधित एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए कम्प्यूटर ऑपरेटर के कार्य करने से निगम को कोई आर्थिक क्षति होती तो उसकी वसूली, अनुबंधित एजेंसी को भुगतान किए जाने वाले देयकों से कटौती कर की जावेगी। यदि कटौती योग्य राशि, भुगतान योग्य राशि से अधिक होगी, तो उसकी वसूली, बकाया राजस्व वसूली के रूप में छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत विहित प्रक्रिया एवं निधि से अनुबंधित एजेंसी से की जावेगी।

9. प्रतिदिवस कम्प्यूटर ऑपरेटर को सौपे गये कार्य को पूर्ण कराने का दायित्व अनुबंधित एजेंसी का ही रहेगा।

10. निविदाकार को प्रत्येक माह की एक तारीख तक अनिवार्य रूप से देयक संबंधित विभाग प्रमुख से सत्यापित कराकर कम्प्यूटर विभाग में प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी होगी।

क्रमशः...2

11. कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर ऑपरेटर को कार्य का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यह अनुभव प्रमाण पत्र ऑपरेटर को प्रथम दिवस कार्य पर लगाने के समय कम्प्यूटर शाखा को प्रस्तुत करना होगा। कम्प्यूटर ऑपरेटर को न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव हिन्दी/अंग्रेजी में टायपिंग होना अनिवार्य होगा एवं न्यूनतम अर्हता किसी संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण DCA होगा। इस संबंध में प्रमाणित प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करना होगा।

12. उपलब्ध कराये जाने वाले कम्प्यूटर ऑपरेटर, अंग्रेजी/हिन्दी टायपिंग में दक्ष होना चाहिए। कम्प्यूटर में हिन्दी/अंग्रेजी में लगभग 8000 की (key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिए। इस संबंध में आवश्यकता अनुसार ऑपरेटर का टेस्ट लिया जा सकता है।

13. शासन के घोषित श्रम नियमों का पालन करना होगा। न्यूनतम वेतन दरों से कम वेतन का भुगतान नियोजित कर्मचारियों को नहीं किया जावेगा। अन्यथा संपूर्ण जवाबदारी निविदाकार की होगी।

14. निविदा स्वीकृत होने पर 100/– रूपये के अनुबंध पत्र पर आयुक्त/कार्यपालन अभियंता, नगर पालिक निगम भिलाई से निविदा के नियम व शर्तें के अंतर्गत अनुबंध करवाना अनिवार्य होगा।

15. संपूर्ण निविदा या अंश को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के पास सुरक्षित रहेगा। विवाद की किसी भी स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। अनुबंधित एजेंसी से आवश्यकतानुसार संख्या में कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्य में लगाया जा सकेगा। कार्य सतोषप्रद न होने पर संविदा की अवधि कम या निरस्त करने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के पास सुरिक्षत होगी।

16. सहायक श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित दैनिक/मासिक वेतन की न्यूनतम दर से कम दरें निविदा में प्राप्त होने पर, उक्त निविदा प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जावेगा।

17. धरोहर राशि रू. 72,500.00 कार्यपालन अभियंता, नगर पालिक निगम भिलाई एवं संबंधित निविदाकार के संयुक्त नाम का एफ.डी.आर. लिफाफा (क) में एवं शपथ पत्र 100/– स्टॉम्प पेपर लिफाफा (ख) में एवं दोनो लिफाफा (ग) में भरकर मुख्य कार्यालय (कम्प्यूटर शाखा) नगर पालिक निगम भिलाई में दिनांक 20/04/2023 शाम 5:30 बजे तक स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा जमा करना होगा। उसके उपरांत लिफाफा स्वीकार नही किया जावेगा। अन्य समस्त दस्तावेज स्कैन कर तथा दर ई–प्रोक्यूरमेंट की वेबसाईट eproc.cgstate.gov.in पर अपलोड करना होगा।

18. किसी भी प्रकार का Amendment/Corrigendum केवल ई–प्रोक्यूरमेंट की वेबसाईट http://eproc.cgstate.gov.in पर ही प्रदर्शित किया जावेगा।

19. अनुबंधित एजेंसी को न्यूनतम वेतन अधिनियिम 1948 के प्रावधानों के तहत निर्धारित न्यूनतम वेतन एवं अन्य आवश्यक भुगतान, जो कि ई.पी.एफ., ई.एस.आई. अवकाश वेतन आदि देना अनिवार्य होगा।

20. अनुबंधित एजेंसी को निगम/राज्य शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा भविष्य में जारी निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा।

21. एजेंसी द्वारा समस्त कम्प्यूटर ऑपरेटर को एजेंसी द्वारा जारी आई कार्ड उपलब्ध कराना होगा एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर के पास स्वयं का मोबाईल होना अनिवार्य है।

22. समस्त कम्प्यूटर ऑपरेटर को आई.सी.टी अटेन्डेन्स (निष्ठा) द्वारा उपस्थिति लेना होगा। अन्यथा वेतन भुगतान की जवाबदारी निगम की नहीं होगी।

क्रमशः...3

23. प्रत्येक माह ESI एवं EPF की राशि कम्प्यूटर ऑपरेटर के खाते में एजेंसी द्वारा देयक भुगतान पूर्व जमा कर, स्टेटमेंट बिल देयक के साथ संलग्न करना होगा।

24. निविदादाता को शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में समान प्रकृति **(कम से कम 20 कम्प्यूटर आपरेटर)** के कार्य का 2 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

25. ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. का पंजीयन होना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

26. एजेंसी को कार्यादेश के एक माह के भीतर श्रम पंजीयन कराना अनिवार्य होगा एवं उनकी एक छायाप्रति भिलाई निगम के पास जमा करना होगा। श्रम पंजीयन नही होने के स्थिति में निगम द्वारा बिल का भुगतान नही किया जावेगा। परंतु एजेंसी द्वारा समस्त कम्प्यूटर ऑपरेटर को वेतन का भुगतान करना अनिवार्य होगा।

27. निर्धारित तिथि में ठेकेदार द्वारा जी.एस.टी. की राशि निविदा की दरों में जोड़कर नहीं देना है। निर्धारित जी.एस.टी. की राशि संबंधित विभाग में जमा कर, भुगतान का बिल व निष्ठा पेरोल प्रस्तुत करने पर निगम उक्त राशि का प्रतिपूर्ति करेगी।

28. ठेकेदार प्रतिमाह 10 तारीख तक कम्प्यूटर ऑपरेटरों को वेतन भुगतान करेगा। अन्यथा 10 तारीख के बाद प्रतिदिन 10,000/– की दर से अर्थदण्ड एवं 15 तारीख के बाद प्रतिदिन 50,000/– की अर्थदण्ड आरोपित करते हुए देयक से कटौती किया जावेगा।

29. सहायक श्रम आयुक्त का दर समय–समय पर बढ़ने पर एजेंसी को समस्त कम्प्यूटर ऑपरेटर को बढ़ा हुआ दर से भुगतान करना अनिवार्य होगा। समानुपातिक रूप से दरों में हुई वृद्धि का भुगतान निगम पृथक से करेगी।

30. यदि एजेंसी द्वारा सहायक श्रम आयुक्त दर अनुसार कम्प्यूटर ऑपरेटर को भुगतान नही करने पर निविदा/संविदा को निरस्त किया जावेगा।

31. एजेंसी द्वारा ई–प्रोक्यूरमेंट वेबसाईट में जी.एस.टी.कर को छोड़कर ऑनलाईन निविदा दर प्रस्तुत करना है।

32. ई–प्रोक्यूरमेंट वेबसाईट में समस्त दस्तावेज स्कैन कर अपलोड किया जाना है तथा एफ.डी.आर. एवं शपथ पत्र को स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा जमा करना होगा।

33. एफ.डी.आर. एवं शपथ पत्र, नियमानुसार प्राप्त होने के उपरांत ही ऑनलाईन तकनीकी दस्तावेज खोला जावेगा एवं तकनीकी दस्तावेज सही प्राप्त होने एवं पात्र होने के उपरांत ही संबंधित निविदाकार का वित्तीय ऑफर खोला जावेगा।

S. no.	Detail	Number Of Operator	Total Quantity
1.	Providing Computer Operator (highly skilled) for Municipal Corporation Bhilai for12 months.	44 No.	44 (Operator) x 365 days = 16060.00

Note:- Rate to be quoted for per operator per day in E-procurement system including all charges As per terms condition Excluding GST.

– चेक लिस्ट –

क्र.	विवरण	ऑफरकर्ता द्वारा चाही गई जानकारी भरा जावे
1	एजेंसी का नाम –	
2	पता :– 'क' – पंजीकृत कार्यालय 'ख' – वर्तमान पत्राचार	
3	एजेंसी का पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (पंजीयन प्रमाण पत्र अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)	
4	जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र (अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)	
5	पेन कार्ड (अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)	
6	अमानत राशि (एफ.डी.आर.) ....एवं शपथ पत्र (रू. 100 नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर) संलग्न करें।	
7	निविदा दस्तावेज के समस्त पेज में एजेंसी द्वारा अभिप्रमाणित कर संलग्न करें।	

Name & Signature of the Bidder/Agency along with Seal